

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 14, 2016/वैशाख 24, 1938

No. 344]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14, 2016/VAISAKHA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2016

सं. 1/2016-स्वच्छ पर्यावरण उपकर

सा.का.नि. 510(अ).—वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 तथा 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संदर्भ को, नियमों, अधिसूचना, निर्देश, निर्णय या आदेश जो कि उक्त धारा के अंतर्गत बनाए या दिए गए हैं, स्वच्छ पर्यावरण उपकर के संदर्भ में माना जाएगा।

[फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2016

No. 1/2016 - Clean Environment Cess

G.S. R. 510 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 83 and 84 of the Finance Act, 2010 (14 of 2010), the Central Government hereby directs that any reference to 'Clean Energy Cess', in the rules, notifications, instructions, decisions, or orders, made or issued under the said sections, shall, be construed as references to 'Clean Environment Cess'.

[F. No. 334/8/2016 -TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2016

सं. 2/2016- अवसंरचना उपकर

सा.का.नि. 511(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1), वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 162 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सावर्जनिक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2016- अवसंरचना उपकर, दिनांक 01 मार्च, 2016 जिसे सा.का.नि. 255 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

- i “वित्त विधेयक, 2016 के उपवाक्य 159 के उप-उपवाक्य (3)” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 162 की उपधारा (3)” अंकों अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii “अनंतिम कर संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा से, जिस उपवाक्य को कानून की शक्ति प्राप्त है” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को निरसित कर दिया जाएगा;
- iii “वित्त विधेयक, 2016 के उपवाक्य 159 के उप-उपवाक्य (1)” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 162 की उपधारा (1)” अंकों अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 01/2016- अवसंरचना उपकर, दिनांक 01 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 255 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2016

No. 2/2016 - Infrastructure Cess

G.S. R. 511(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 162 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2016-Infrastructure Cess, dated the 1st March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 255 (E), dated the 1st March, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), namely: -

In the said notification,-

- (i) for the words, figures and brackets “sub-clause (3) of clause 159 of the Finance Bill, 2016”, the words, figures and brackets “sub-section (3) of section 162 of the Finance Act, 2016” shall be substituted;
- (ii) the words, figures and brackets “which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law,” shall be omitted;

(iii) for the words, figures and brackets “sub-clause (1) of clause 159 of the said Finance Bill”, the words, figures and brackets “sub-section (1) of section 162 of the said Finance Act” shall be substituted.

[F. No. 334/8/2016 -TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note.—The principal notification No. 1/2016-Infrastructure Cess, dated the 1st March, 2016, was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 255 (E), dated the 1st March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2016

सं. 27/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 512(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 की 1) की धारा 37, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 162 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में और आगे भी संशोधन करती है, यथा -

- (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (6वां संशोधन) रूल्स, 2016 कहा जाएगा;
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में नियम 3 में, उप-नियम (4) में, नौवें परंतुक में, “वित्त विधेयक, 2016 के उपवाक्य 159 के उपवाक्य (1)” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 162 की उपधारा (1)” अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

नोट : प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004, सा.का.नि. 600 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), जिसे सा.का.नि. 422 (अ), दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2016

No. 27/2016 – Central Excise (N.T.)

G.S. R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with section 162 of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

- (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Sixth Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 3, in sub-rule (4), in ninth proviso, for the words, figures and brackets “sub-clause (1) of clause 159 of the Finance Bill, 2016”, the words, figures and brackets “sub-section (1) of section 162 of the Finance Act, 2016” shall be substituted.

[F. No. 334/8/2016 -TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 23/2004 – Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004, *vide* number G.S.R. 600 (E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 24/2016 - Central Excise (N.T.), dated the 13th April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 422 (E), dated the 13th April, 2016.